(2008) 3 एस. सी. आर. 409

मैसर्स गोयल इंटरप्राइजेज

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 377)

फ़रवरी 25, 2008

**(डॉ. अरिजीत पसायत एवं जे.एम. पांचाल, जे.जे.)**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 378 (4) - बरी होने के खिलाफ अपील करने की अनुमति - आवेदन, बिना कोई कारण बताए उच्च न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया - आयोजित: उच्च न्यायालय को अपने कारणों को निर्धारित करना चाहिए था, हालांकि संक्षिप्त, अपने आदेश में, अपने दिमाग के आवेदन का संकेत; और भी अधिक जब इसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी है - कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के आदेश को अस्थिर बना दिया है, जिसे अलग रखा गया है - अपील दायर करने की अनुमति - उच्च न्यायालय अपील पर विचार करेगा और उत्तरदाताओं को औपचारिक सूचना के बाद कानून के अनुसार उसी की सुनवाई और निपटान करेगा - उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश-कारण बताने की आवश्यकता।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 377

झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.1612006 से सीआरएल एमपी संख्या 619/2006 में

बरुण कुमार सिन्हा, प्रतिभा सिन्हा और बी.के. सतीजा ;अपीलकर्ता के लिए

पीएस मिश्रा, रवि सी प्रकाश, तथागत एच वर्धन, उपेंद्र मिश्रा, ध्रुव कुमार झा, मनु शंकर मिश्रा और अजीत कुमार सिन्हा हैं। उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का आदेश दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे के द्वारा 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपील की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

3. अपीलकर्ता का रुख यह है कि आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज करने वाले खंड पीठ के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने यह कहते हुए आदेश का समर्थन किया कि हालांकि यह आदेश तर्कहीन है, फिर भी यह अधिकार के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 136 (संक्षेप में 'संविधान')।

4. छुट्टी मंजूर करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 378 (4) के तहत दायर किया गया था।

**5.** इस मामले में कार्यवाही विद्वान न्यायिक न्यायधीश, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर के समक्ष दायर एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881( संक्षिप्त 'अधिनियम' के लिए) की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। अभियुक्त जो याचिका में प्रतिवादी नंबर 2 है, उसे दोषी पाया गया। और तदनुसार, दोषी ठहराया गया और छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें आदेश पारित होने के एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 61.860 रुपये और 62, 860 रुपये की चेक राशि का भुगतान मुआवजे के रूप में करने का भी निर्देश दिया गया था। आरोपी ने सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर की। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक अदालत नं 2, जमशेदपुर, ने दिनांक 2.3.2006 के आदेश द्वारा विद्वान न्यायिक न्यायधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को रद्द कर दिया। उसके बाद जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 378 (4) के संदर्भ में आवेदन दायर किया गया था। इसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है।

**6.** उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिया है और ऐसा लगता है कि इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान है कि इस तरह के इनकार से बरी करने के आदेश की बारीकी से जांच। अपीलीय मंच द्वारा, एक बार और सभी के लिए खो गया है। जिस तरीके से बरी करने के खिलाफ

अपील को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया है, वह वांछित होने के लिए बहुत कुछ कारण एक आदेश में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय पर स्पष्ट विचार करने पर, उच्च न्यायालय को अपने कारणों को निर्धारित करना चाहिए था, हालांकि उसके आदेश में संक्षिप्त, उसके दिमाग के आवेदन का संकेत है; सभी अधिक जब इसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी है। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के आदेश को टिकाऊ नहीं बनाया है। इसी प्रकार का विचार *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बैटन (2001 (10) एससीसी 607)* में व्यक्त किया गया था।लगभग दो दशक पहले *महाराष्ट्र राज्य बनाम विट्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण (1981 (4) एससीसी 129*) में, छुट्टी के अनुदान के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान एक बोलने वाले आदेश की वांछनीयता पर प्रकाश डाला गया था। ऐसे मामलों में कारण बताने की आवश्यकता को न्यायिक रूप से अनिवार्य माना गया है। इस विचार को *जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह (1987 (2) एससीसी 222*) में दोहराया गया था। इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन को किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी भी बहाने से नहीं छोड़ा जा सकता है, चाहे वह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय भी हो, जो संविधान के अनुच्छेद 141 से अनजान हो।

**7.** कारण हर निष्कर्ष का दिल की धड़कन है, और उसी के बिना यह निर्जीव हो जाता है। (देखें *राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य 2003 (11) धारा 519*)

**8**. यहां तक कि प्रशासनिक आदेशों के संबंध में लॉर्ड डेनिंग एम.आर ने, *ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग संघ* (1971) 1 ऑल ईआर 1148, मे देखा: "कारण देना अच्छे प्रशासन के मूल सिद्धांतों में से एक है। *अलेक्जेंडर मशीनरी (डडले) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री* 1974 आईसीआर 120 (एनआईआरसी) यह देखा गया था: "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के बराबर है। "कारण विचाराधीन विवाद के लिए निर्णय लेने वाले के दिमाग और निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचे के बीच लाइव लिंक हैं। कारण वस्तुनिष्ठता द्वारा व्यक्तिपरकता को प्रतिस्थापित करते हैं। अभिलेखबद्ध कारणों पर जोर यह है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के गूढ़ चेहरे" को प्रकट करता है, तो यह अपनी चुप्पी से, अदालतों के लिए अपने अपीलीय कार्य को करने या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए लगभग असंभव बना सकता है निर्णय की वैधता। तर्क का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का

एक अनिवार्य हिस्सा है के लिए कम से कम पर्याप्त कारण। न्यायालय के समक्ष मामले में दिमाग लगाने का संकेत देता है। एक और तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष जान सकता है कि निर्णय उसके खिलाफ क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक किए गए आदेश के कारणों को बताना है; दूसरे शब्दों में, एक बोलने वाला। "स्फिंक्स का गूढ़ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

**9.** उपरोक्त स्थिति *पंजाब राज्य बनाम भाग सिंह (2004 (1) एससीसी 547*) में इस न्यायालय द्वारा उजागर की गई थी।

**10.** पूर्वोक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया गया है। हम राज्य को अपील दायर करने की अनुमति देते हैं। उच्च न्यायालय अपील पर विचार करेगा और उत्तरदाताओं को औपचारिक सूचना के बाद अपील सुनेगा और वर्तमान अपील में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार इसका निपटान करेगा। अपील को इंगित सीमा तक अनुमति दी जाती है।

आर.पी. अपील की अनुमति दी गई।

**<u>यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>**